



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर
(राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
अध्यक्ष कार्यालय – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर



आशुभाषण प्रतियोगिता

नियम एवं शर्तें

1. प्रतियोगिता में हिंदी अधिकारी/ हिंदी अनुवादक/ राजभाषा से जुड़े कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
2. प्रत्येक सदस्य कार्यालय से प्रतियोगिता हेतु न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 02 अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकेंगे।
3. प्रत्येक प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के दौरान एक पर्ची दी जाएगी और उस विषय पर बोलने हेतु दो मिनट का समय दिया जाएगा। विषय पसंद न आने पर विषय को एक बार बदलने की स्वीकृति दी जाएगी।
4. किसी भी स्थिति में निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
5. प्रतियोगिता के दौरान हिंदी भाषा एवं हिंदीतर भाषी की संख्यानुसार अंकों का मापदंड निर्णायक मंडल द्वारा निश्चित किया जाएगा।
6. प्रतियोगिता परिणाम की घोषणा पत्र/ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।
7. विजयी प्रतिभागियों को नराकास की अगली बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

(नितिन जैन)
सदस्य-सचिव, नराकास